कार्यालय नगरपालिका नाथद्वारा, जिला–राजसमन्द(राज.)
Email: np_ntd@yahoo.co.in, nagarpalikanathdwara@gmail.com Ph. 02953-233526
क्रमांक : न.पा.नाथ. / निर्माण / 22 / 13005 दिनांक : 22-6-2022

Registered A.D.

–: NOTICE FOR TERMINATION OF WORK & DEBARRED:–

M/s. Hema Construction,
1-R, 56, Hiran Magri, Sector-5
Udaipur, Rajasthan.

विषय :– **Construction of Housing Development Project under Mega Housing Scheme Package No. 38, at Near Meera Nagar, Phase-II, Khasra NO. 607/259 and 608/915 of village Bhalavato ka khera, Nathdwara (Rajsamand) Rajasthan. काय के संबंध में।**

प्रसंग :–
1. Your Bid dated 06-05-2014 for this work.
2. Letter to Acceptance No. 3798 dated 10-03-2015 issued in favour of our firm.
3. Rajasthan Avas Vikas & Infrastructure Limited , Jaipur work order No. RAVIL/2015-16/188 dated 15-04-2015.
4. रूडसिको, जयपुर के Revised Letter of Acceptance No. RUDSICO/PD-HOUSING/2016-17/2169 dated 09-02-2017.
5. पालिका के नोटिस पत्रांक 1022 दिनांक 05.03.19
6. पालिका के नोटिस पत्रांक न.पा.नाथ. / 21 / निर्माण / 7666 दिनांक 08.12.21
7. पालिका के नोटिस पत्रांक न.पा.ना. / 2021–22 / 7964 दिनांक 20.12.21
8. पालिका के नोटिस पत्रांक न.पा.नाथ. / 21 / निर्माण / 8954 दिनांक 31.01.22
9. श्रीमान् शासन सचिव महोदय के अर्द्ध शासकीय पत्रांक रूडसिको / पी.एम.ए. वाई.(यू) / 2021–22 / 337 जयपुर दिनांक 28.02.2022।
10. पालिका के पत्र कमांक न.पा.नाथ / 21 / सी.एम.ए.वाइ / 10247–10252 दिनांक 26.03.2022।
11. पालिका के अन्तिम नोटिस कमांक न.पा.नाथ. / निर्माण / 22 / 12444 दिनांक 07.06.2022 के कम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसंगानुसार लेख है कि मुख्यमंत्री जन आवास (भलावतों का खेडा) योजना के अंतर्गत आवासीय फ्लेट्स निर्माण कार्य आपकी फर्म द्वारा किया जा रहा हैं। जिसके अंतर्गत नगरपालिका द्वारा जारी प्रासंगिक पत्रों की पालना में आज दिनांक तक आप द्वारा कार्य हेतु वर्णित डीपीआर स्कॉप ऑफ वर्क तथा अनुबंध के अनुसार मौके पर आन्तरिक विकास कार्य तथा रहवास हेतु आधारभूत सुविधाओं का कार्य पूर्ण नहीं किया गया। एंव उक्त कार्य की अवधि 19.06.2019 को समाप्त होने के बाद आप के कार्य पूर्ण करने के आवश्वासन पर पालिका के सक्षम तकनीकी अधिकारियों के परीक्षण उपरान्त पुनः 12 माह की अवधि विस्तार प्रदान किया गया था जो कि मार्च 2022 को समाप्त हो चुकी है उसके उपरान्त भी आज दिनांक तक आपकी फर्म द्वारा उक्त कार्य संतोशजनक रूप से पूर्ण नहीं कर कुल 352 आवासों में से एक भी आवास न तो पूर्ण किया गया न ही सुर्पद किया गया है इस सन्दर्भ में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी पत्र कमांक न.पा.नाथ / 21 / सी.एम.ए.वाये / 10247–10252 दिनांक 26.03.2022 जारी अनुसार भी पालिका तकनीकी अधिकारियों के प्रत्युत्तर संतोषजनक नहीं पाये गये हैं जबकि उक्त

D:\NTH OFFICE 2021\Downloads\Notice Hema construction final **dbar.docx**

22/06/2022
आयुक्त
नगरपालिका नाथद्वारा

कार्य सरकार की महत्वपूण योजना गरीबजनों के हितार्थ की होने से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कार्य की समयावधि में दो बार अतिरिक्त विस्तार प्रदान करने के बाद भी तथा आप द्वारा प्रस्तुत सभी बिलो का भुगतान वितिय स्थिति अुनसार समय समय पर करने के उपरान्त भी मौके पर फर्म द्वारा कार्य में आशानुरूप प्रगति नहीं पायी गयी हैं एंव इस सन्दंभ में आप द्वारा मात्र अनावश्यक पत्राचार कर कार्य की प्रगति बतायी गयी जबकि भैातिक रूप से आज दिनांक तक आशाअनुरूप प्रगति नहीं होकर पिछले 5 साल से योजना मूर्तरूप नहीं ले पायी है तथा एक भी आवासीय इकाई पूर्ण नहीं है साथ ही अपेक्षा अनुरूप आन्तरिक विकास भी नहीं किया गया है इससे साफ प्रतीत होता है आपके फर्म की उक्त कार्य करने में रूचि नहीं है।

अतः इस संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आज दिनांक तक सभी युक्तियुक्त प्रयास करने के उपरांत भी संवेदक फर्म द्वारा एक भी लाभार्थी को वर्ष 2017 से माह जुन 2022 तक आवास पूर्ण कर आवंटन नहीं किया जाकर सरकार की महत्वूपर्ण योजना को असफल करने का प्रयास किये जाने से आपकी फर्म को आवंटित कार्य निरस्त (Termination) कर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 की धारा 42(2)(D), 46(4) के अंतर्गत निविदा शर्तों अनुसार उक्त कार्य के पेटे नगरपालिका में जमा धरोहर राशि एवं कार्य प्रतिभूति राशि को जब्त की जाकर आपकी फर्म को 03 वर्ष की कालावधि हेतु विभागीय उपापन प्रकियाओं से विवर्जित किया जाता हैं।

सूचित हो।

22/06/2022

आयुक्त
नगरपालिका नाथद्वारा
आयुक्त
नगरपालिका नाथद्वारा

क्रमांक : न.पा.नाथ./निर्माण/22/ 13006-13019 दिनांक :

प्रतिलिपिः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. श्रीमान् शासन सचिव महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राज0, जयपुर।
2. श्रीमान् निदेशक महोदय, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज0, जयपुर।
3. श्रीमान् निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शाान विभाग राज0, जयपुर।
4. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, राजसमन्द।
5. श्रीमान् परियोजना निदेशक महोदय, रूडसिको, जयपुर को भेजकर निवेदन हैं कि उक्त कार्य के तहत् नगरपालिका द्वारा फर्म के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का अनुमोदन कराने का श्रम करावें।
6. श्रीमान् मुख्य अभियंता महोदय नगरीय विकास विभाग जयपुर को भेजकर लेख है कि राज्य स्तर से उक्त फर्म को विभागीय उपापन प्रकियाओं से विवर्जित करने की कार्यवाही करा अनुग्रहित करने का श्रम करावें।
7. श्रीमान् मुख्य अभियंता महोदय, निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग राज0, जयपुर को भेजकर लेख हैं कि राज्य स्तर से उक्त फर्म को विभागीय उपापन प्रकियाओं से विवर्जित करने की कार्यवाही करा अनुग्रहित करने का श्रम करावें।
8. श्रीमान् उपनिदेशक (क्षैत्रीय) महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, उदयपुर/जयपुर/अजमेर/जोधपुर/कोटा/भरतपुर/बीकानेर।
9. श्रीमान् आयुक्त महोदय, नगर निगम/नगर परिषद, राजस्थान समस्त।
10. श्रीमान् आयुक्त महोदय. जयपुर/अजमेर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
11. श्रीमान् सचिव महोदय समस्त नगर सुधार न्यास राजस्थान।
12. श्रीमान् अधीक्षण अभियंता, नगर निगम उदयपुर।
13. अधिशाषी अभियंता, नगर परिषद, राजसमन्द।
14. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका, राजस्थान समस्त।
15. सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता, नगरपालिका नाथद्वारा।
16. श्री हरिश सैन, सहायक प्रोग्रामर नगरपालिका नाथद्वारा को भेजकर लेख हैं कि उक्त पत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध की कार्यवाही करें।
17. सुरक्षित पत्रावली।

22/06/2022

आयुक्त
नगरपालिका नाथद्वारा
आयुक्त
नगरपालिका नाथद्वारा